



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U. P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-33-अ0प्र0-07/पाकालि/26-25-अ0प्र0-07/25

दिनांक : 30/01/2026

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर एतद्वारा निम्नांकित अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) को अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा निम्नवत् तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम /जन्मतिथि/से०नि० तिथि/ गृह जनपद/वरि०क्र०/सैप आईडी सर्वश्री	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	आवंटित अभिज्ञान संख्या	प्रोन्नति उपरान्त आवंटित डिस्कॉम/इकाई
1	2	3	4	5
1.	जगदीश कुमार/उदल राम/10.03.1981 /31.03.2041/बदौयू/2012/CEH/246/11004509	अधि०अभि०, 11 के०वी० एवं एल०टी० राजभवन, लखनऊ-मध्य क्षेत्र। (म०वि०वि०नि०लि०)	2025003	पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०

- परिषदादेश सं०-1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87, दिनांक 08.10.1997 के प्रस्तर-7(क) में निहित प्राविधानानुसार श्री जगदीश कुमार (वरि०क्र०-2012/CEH/246) को उनसे चयनित आसन्न कनिष्ठ श्री दीपक कुमार (वरि०क्र० 2012/CEH/251, अभि०सं०-2024063) की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति आदेश संख्या-2310-अ0प्र0-07, दिनांक 09.11.2024 के निर्गमन की तिथि अर्थात दिनांक 09.11.2024 से नोशनल प्रोन्नत माने जाने के आदेश किये जाते हैं।
- उपरोक्त प्रोन्नत कार्मिक पूर्व परिषदादेश सं०-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
- सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ता की तैनाती में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति में निहित निर्देशों के अनुरूप अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
- सहायक अभियन्ता (वै० एवं यां०) के पद पर प्रोन्नत हुए अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के नियंत्रक अधिकारी, उन्हें अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के पद से कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि -
(क) अवर अभियन्ता निलम्बित न हो।
(ख) अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का०ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
- कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-2777-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/2023, दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उपरोक्त अभियन्ताओं की Joining/Relieving ई०आर०पी० प्रणाली पर ही किया जाना है।
- वर्तमान चयन वर्ष में इस प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि तक किसी अवर अभियन्ता के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में वृहद दण्ड प्रदान किया गया है तो उस अवर अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।

क्रमशः.....2

9. यह प्रोन्नति इस आधार पर दी जा रही है कि सम्बन्धित डिस्काम/इकाई द्वारा उपरोक्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जॉच आदि लम्बित नहीं सूचित है अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त अवर अभियन्ता की प्रोन्नति निरस्त मानी जाएगी व अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।
10. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उक्त अभियन्ता यथा शीघ्र अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत कर्मिक को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।
11. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

अध्यक्ष

संख्या :-33 (1)-अ0प्र0-07/पाकालि/2026/तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा एवं केस्को-कानपुर।
 3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 4. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 5. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
 6. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन-विस्तार, लखनऊ।
 7. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 8. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 10. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
 11. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि प्रोन्नत हुए अभियन्ता को अवर अभियन्ता के पद से कार्यमुक्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं तदक्रम में उनकी सेवा पुस्तिका प्राथमिकता से पूर्ण कराकर लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 12. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (03/04), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (ई0मेल-ds.0304@uppcl.org/js.02@uppcl.org) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (ई0मेल-ao.vetanlekha@uppcl.org) को अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

(सौरभ सिंह)

उप सचिव (07)